# प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

## परिशिष्ट 'सैंतीस'

[ 4/3/2016]

## प्रश्न सं. [ क्र. 2000 ]

परिशिष्ट "अ"

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2000 अतारांकित

(1) 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों/गर्भवती धात्री माताओं

वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में नवीन व्यवस्था के अनुसार 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रों के माध्यम से सप्ताह के 05 दिन निम्नानुसार खाद्य सामग्री अलग–अलग दिवसों में दी जा रही हैं।

| क्र | खाद्यान्न का नाम | हितग्राही | प्रतिदिन की मात्रा | प्रोटीन ग्राम | कैलोरी | दर (प्रति मै. टन वेट रहित) (रू) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गेहूँ,सोया बफी (प्रिमिक्स) | गर्भवती/धात्री माताऐं | 150 ग्राम | 18.47 | 631.80 | 38272/– |
| 2 | आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स) | गर्भवती/धात्री माताऐं | 150 ग्राम | 18.14 | 626.93 | 38261/– |
| 3 | हलुआ प्रिमिक्स) | 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे | 120 ग्राम | 12.28 | 503.04 | 37858/– |
| 4 | बाल आहार (प्रिमिक्स) | 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे | 120 ग्राम | 14.61 | 500.11 | 38755/– |
| 5 | खिचड़ी | 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे | 125 ग्राम | 20.44 | 500.75 | 36662/– |
| | | गर्भवती/धात्री माताऐं | 150 ग्राम | 24.53 | 600.90 | 36662/– |

(2) 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे

ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान हैं ।

सांझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों, को प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार में विविधता के लिए साप्ताहिक सांकेतिक मेनू

| दिन | सुबह का नाश्ता | दोपहर का भोजन | प्रोटीन (ग्राम) | कैलोरी | दर प्रतिहितग्राही प्रतिदिवस |
|---|---|---|---|---|---|
| | रैसिपी | रैसिपी | | | |
| सोमवार | पौष्टिक खिचडी | रोटी–सब्जी–तुअर दाल | 12–15 | 500 | रू.6/– |
| मंगलवार | थुली (मीठी–नमकीन) | ख़ीर–पुड़ी–मूँगबड़ी–आलू टमाटर सब्जी | | | |
| बुधवार | मीठी लाप्सी | रोटी–चनें की दाल–मिक्स सब्जी | | | |
| गुरूवार | मीठी लाप्सी | चावल पुलाव–पकोड़े वाली कढ़ी | | | |
| शुक्रवार | थुली (मीठी–नमकीन) | रोटी–मूँगदाल–हरे या सूखे मटर की सब्जी | | | |
| शनिवार | पौष्टिक खिचडी | पराठा–सीजनेबल हरी सब्जी– मिक्स दाल | | | |

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय स्व सहायता समूह, के माध्यम से साझां चूल्हा कार्यक्रम के मीनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है।

(3) 06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरामील

06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार,गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता के मेनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान है ।

संयुक्त संचालक
एकीकृत बाल विकास सेवा,म.प्र.

महिला एवं बाल विकास सेवाएं,
संचालनालय, भोपाल